हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या–पी.सी.एच.–एच.ए.(1)11/2010–। तारीख, शिमला–171009, 16 जुलाई, 2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21 जनवरी, 2014 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण से आपेक्ष और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 7 फरवरी, 2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक–4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 है।

परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) अभिप्रेत है ;

(ख) ''निदेशक'' से निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; और

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

पदों की संख्या। 3. पंचायत सहायकों के पदों की, अपनी–अपनी पंचायतों में, ऐसी संख्या होगी, जैसी सरकार द्वारा मंजूर की गई हो और समय–समय पर मंजूर की जाए।

पारिश्रमिक। 4. पंचायत सहायकों को ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत किया जाएगा जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए। पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से सम्बद्ध जिला परिषद् के सचिव के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

परन्तु पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक केवल सम्बद्ध पंचायत के यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान से उपस्थिति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवितरित किया जाएगा।

सीधी नियुक्ति के लिए आयु और अन्य पात्रताएं। 5. (1) कोई भी व्यक्ति पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा, यदि उसकी आयु 18 और 45 वर्ष के बीच हैः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।

(2) अन्य पात्रता शर्तेंः–

(क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है;

(ख) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा;

(ग) वह सम्बद्ध जिला का वास्तविक (बोनाफाइड) निवासी हो;

(घ) वह स्वस्थचित्त और अच्छे स्वास्थ्य का हो;

(ङ) उसे नियुक्ति के लिए निरर्हित न किया गया हो या उसे अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से पदच्युत न किया गया हो;

(च) उसे नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो; और

(छ) उसका राज्य सरकार या पंचायतों को काई बकाया संदेय न हो।

सीधे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं।

6. (1) पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम दस जमा दो की शैक्षिक अर्हता रखता हो या इसके समकक्ष हो।

(2) उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता रखते हों।

नियुक्ति की पद्धति।

7. अभ्यर्थी सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

8. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः—

(i) **संकल्पनाः**

(क) इन नियमों के अधीन पंचायत् में पंचायत सहायक को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण हेतु सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा और आचरण संतोषजनक रही है, केवल तभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ii) **संविदात्मक उपलब्धियांः**

पंचायत सहायकों को पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से सम्बद्ध जिला परिषद् के सचिव के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(iii) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः**

सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्ति और अनुशासन

प्राधिकारी होगा।

(iv) **चयन प्रक्रियाः**

(क) संबद्ध जिला परिषद् अपने सचिव के माध्यम से व्यापक प्रचार करते हुए संबद्ध जिला परिषद् के सुचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर सूचना (नोटिस) प्रदर्शित करते हुए और दो स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा। ये रिक्तियां नियोजनालय द्वारा भी अधिसूचित की जाएगी। आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना (नोटिस) की तारीख से न्यूनतम पन्द्रह दिन की अवधि प्रदान की जाएगी और आवेदन जिला परिषद् के सचिव द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन जिला परिषद् के सचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और स्टाम्पित रसीद सहित अभिस्वीकृत किया जाएगा।

(ख) आवेदन आमंत्रित करने हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के ठीक पश्चात् संबद्ध जिला परिषद् का सचिव चयन समिति के अध्यक्ष के परामर्श से पंचायत सहायकों के साक्षात्कार संचालित करने के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा। सचिव, चयनसमिति के सदस्यों के साथ–साथ आवेदकों को भी साक्षात्कार के लिए नियत की गई समय अनुसूची की सूचना देते हुए, एक सूचना (नोटिस) जारी करेगाः

परन्तु सूचना (नोटिस) जारी करने की तारीख और साक्षात्कार की तारीख के बीच कम से कम दस दिन की अवधि का अन्तर रहेगा; और

(ग) साक्षात्कार, निम्नलिखित चयन समिति द्वारा संचालित किया जाएगाः–

(i) संबद्ध जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी : अध्यक्ष

(ii) उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए. : सदस्य

(iii) जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद् : सदस्य

(घ) चयन समिति, प्रमाण पत्रों को उनके मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापित करेगी।

(ङ) सचिव, जिला परिषद् अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों सहित दी गई सूचना के आधार पर, इसमें नीचे दिए गए मापदण्ड का अनुसरण करते हुए, एक आंकड़ा सूची का संकलन करेगा, और उक्त आंकड़ों को संकलित करने का कार्य

साक्षात्कार की तारीख से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह आंकड़े (डाटा), चयन समिति को, अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार की तारीख पर लाए गए मूल अभिलेख के साथ, साक्षात्कार की तारीख पर, इसके सत्यापन के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता (परफारमैन्स) के आधार पर, पूर्णतया गुणागुण के आधार पर कुल एक सौ अंकों में से किया जाएगा जोकि निम्नलिखित रीति में विभाजित किए जाएंगे, अर्थात्:–

[1][(क) शैक्षणिक अर्हताएं

(1) दस जमा दो (10+2) में अंकों की प्रतिशतता को 1.66 द्वारा विभाजित करके।	:	अधिकतम 60 अंकों तक
(ख) अनुभव		
(1) किसी पंचायती राज संस्थान/सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/संस्था / अभिकरण (ऐजेन्सी) में कार्य करने के प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा।	:	अधिकतम 5 अंको तक
(2) यदि अभ्यर्थी संबद्ध जिला परिषद् के क्षेत्र का निवासी है।	:	5 अंक
(3) (क) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में न्यूनतम छह मास का डिप्लोमा किया है।	:	9 अंक
(ख) यदि अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में न्यूनतम एक साल का डिप्लोमा किया है।	:	15 अंक
(ग) निजी साक्षात्कार	:	15 अंक]

(च) सचिव, जिला परिषद् उपरोक्त (क) और (ख) में उपबंधित अंकों के मापदण्डों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा और साक्षात्कार हेतु एक रिक्ति के विरूद्ध दस अभ्यर्थी बुलाएगाः

(छ) सचिव, जिला परिषद्, गुणागुण के क्रम और पंचायत सहायकों की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाएगा; अभ्यर्थी जो पैनल में प्रथम स्थान पर हैं, को पंचायत सहायकों के

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–1, दिनांक 11 अगस्त, 2014 एवं दिनांक 12 अगस्त, 2014 को राजपत्र में प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।

पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा। पंचायत सहायकों की अपेक्षित संख्या के चयन के पश्चात् रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की उनके गुणागुण के क्रम में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और ऐसी प्रतीक्षा सूची उस कैलेण्डर वर्ष के लिए जिसमें अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, विधिमान्य होगी।

(v) कार्य समयः

पंचायत सहायक पूर्णकालिक कर्मी होगा और वह प्रत्येक कार्य दिवस को ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति चिन्हित करेगा। उपस्थिति रजिस्टर प्रधान या उप–प्रधान द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान प्रत्येक मास की समाप्ति पर उपस्थिति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(vi) नियुक्ति और करारः

किसी अभ्यर्थी के चयन के पश्चात् उसको प्ररूप–1 में नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तत्पश्चात्, उसको प्ररूप–II के अनुसार एक करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) **निबन्धन और शर्तेंः**

(क) पंचायत सहायक को ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायक को मासिक पारिश्रमिक, इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सहायता अनुदान में से सम्बद्ध जिला परिषद् के सचिव के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि पंचायत सहायक अनाचार में संलिप्त पाया जाता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या दाण्डिक अपराध में संलिप्त पाया जाता है या अनुशासनहीनता का कार्य करता है या निधियों के दुरूपयोग या गबन में संलिप्त पाया जाता है तो उसे सम्बद्ध जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसके आचरण का स्पष्टिकरण देने हेतु कहा जा सकेगा। यदि उसका स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं

पाया जाता है तो उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उक्त संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, यदि उसको आबंटित ग्राम पंचायत, दो–तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है और उसको संबद्ध जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रेषित करती है, कि वह उसको सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं कर रहा है या अनुशासनहीनता के किसी कृत्य में संलिप्त है, तो उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ करेगा। इन नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाहियां संचालित करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुसरण किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवचार की गंभीरता पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित शास्तियों में से एक या एक से अधिक अधिरोपित कर सकेगाः–

(i) परिनिंदा (सैनशयूर);
(ii) 5000/– रूपए का जुर्माना उसके पारिश्रमिक में से घटाकर;
(iii) की गई किसी हानि की वसूली;
(iv) वेतनवृद्धि रोकना; और
(v) संविदा की समाप्ति और सेवा से हटाया जानाः

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, अपने–अपने जिला परिषद् जिला के भीतर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानातंरण के लिए पात्र होगा। पंचायत

सहायक का स्थानांन्तरण सम्बद्ध जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी और पंचायतों का आबंटन।

9. (1) सम्बद्ध जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और नियुक्ति–पत्र उसके द्वारा जारी किया जाएगा। वह पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत का आंबंटन अनुमोदित करेगा।

परन्तु पंचायत सहायक को गृह ग्राम पंचायत/निकटवर्ती ग्राम पंचायत आबंटित नहीं की जाएगी।

(2) सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दौरा कार्यक्रम, छुट्टी, कार्य और आचरण प्रमाण–पत्र आदि के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा। जिला परिषद् का सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति के परामर्श से, पंचायतों का आबंटन इस प्रकार करेगा कि आबंटित पंचायतों का सामीप्य सुनिश्चित किया जा सके।

आरक्षण ।

10. सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

जॉब चार्ट।

11. पंचायत सहायक के लिए जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रशिक्षण और परीक्षा।

12. सेवा के सदस्यों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी या समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रशिक्षण के ऐसे क्रम प्राप्त करने होगें।

परन्तु यह कि पांच वर्ष के भीतर ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे और सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण न किए जाने की दशा में, ऐसे कर्मचारी भविष्य में वेतनवृद्धियों, स्थानन, पुनःपदनाम इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा।

शिथिल करने की शक्ति।

13. जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

निरसन और व्यावृत्तियॉ।

14. (1) अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0–एच0ए0 (3) 25/2007 तारीख 4 सितम्बर 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2008 का एतत्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप–नियम 14 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

प्ररूप– 1
[नियम 8 (vi) देखें]
नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री..... निवासी गांव.....तहसील.....जिला..... से पंचायत सहायक के पद के लिए प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को उक्त पद के लिए चयनित किया गया है। अतः उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति प्रस्तावित की जाती हैः–

1. उसे प्रतिमास ..... रूपए (अंको में) ..... (अक्षरों में) पारिश्रमिक संदत किया जाएगा;
2. कोई अन्य भत्ता, जो भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर अनुज्ञेय है, उसे संदत नहीं किया जाएगा;

3. नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी;
4. नियुक्ति आगे, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यधीन होगी;
5. कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, उसके द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पिछले कम से कम तीन वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, अधोहस्ताक्षरी के समाधान के लिए, पूर्ववृत सत्यापन प्रमाणपत्र दिया जाएगा;
6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व किसी सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा स्वस्थतता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी; और
7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे, उपरोक्त निबन्धन और शर्ते स्वीकार्य हैं, तो वह, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तुरन्त, किन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से 15 दिन के अपश्चात्, संविदा करार के निष्पादन के साथ–साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी।

स्थान .....
तरीख.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् .....
जिला.....
हिमाचल प्रदेश।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

प्ररूप– 2

[नियम 8 (vi) देखें]

करार

पंचायत सहायक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के मध्य ..... निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है) और जिला परिषद् के मध्य इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पत्रकार ने पंचायत सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार पंचायत सचिव के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. पंचायत सहायक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त पंचायत सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पंचायत सहायक कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो सम्बद्ध जिला परिषद् (जिला) के भीतर आवश्यक्तानुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। स्थानान्तरण सम्बद्ध जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। उस का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0फ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

आदेश द्वारा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या–पीसीएच–एचए (1) 11/2010– I- 6674-6815 तारीख 16–7, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 25.6.2014 के निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/बैजनाथ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005।

हस्ता/–

उप–सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।